बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण,बिहार,पटना

कार्यालय–आदेश

अधिसूचना संख्या–टी 2/नामां0–52/2001– 3563 /पटना, दिनांक– 31.12.13

श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सत्र 2014–15 एवं 2014–2016 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रकिया में परिवर्तन एवं कक्षा 10 में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी आई0टी0आई0 की द्विवर्षीय कोर्स से उत्तीर्ण हो, को इंटरमीडिएट (कक्षा–12) के समतुल्य मान्यता हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:–

क0	समिति के मनोनित पदाधिकारी का पदनाम	समिति का पद
1	निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना	सदस्य
3	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, बिहार, पटना।	सदस्य
4	शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून न हो	सदस्य

1. उक्त समिति का कार्य–कलाप निम्नलिखित होगें–

(क) सत्र 2014–15 एवं 2014–2016 के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के बजाय मैट्रीक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर को अपनाकर मेधा सूची तैयार की जाय। प्रवेश पद्धति का संचालन परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में एक समिति करेगी, जिसमें 02 वरीय पदाधिकारी निदेशालय (मुख्यालय) के तथा 03 प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, दीघाघाट पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया के होगें। निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण उक्त प्रवेश प्रकिया को पारदर्शी एवं छात्रोपयोगी बनाने के लिये हर संभव कार्रवाई करेंगे।

(ख) नियोजन, कौशल विकास तथा शैक्षिक उन्नयन के दृष्टिकोण से कक्षा–10 में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी आई0टी0आई0 की द्विवर्षीय पढ़ाई करके परीक्षा पास करते है (NCVT अथवा SCVT), उन्हे इंटरमीडिएट (कक्षा–12) के समतुल्य मान्यता देने पर समिति विचार करेगी। आई0टी0आई0 उत्तीर्ण सर्टीफिकेट पर इस आशय का उल्लेख भी किया जाना सम्मिलित हैं।

2. समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा अथवा तब तक के लिए जब तक कि इसे पुर्नगठित न किया जाए। सरकार बिना कारण बताए समिति को कभी भी विघटित कर सकती है।
3. इस समिति की बैठक में कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

31/12/2013

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– टी 2/नामां0–52/2001– 3563 /पटना, दिनांक– 31.12.13

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को देते हुए अनुरोध है कि उपर गठित समिति हेतु शिक्षा विभाग से एक प्रतिनिधि मनोनित करने की कृपा करेंगे ।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– टी 2/नामां0–52/2001– 3563 /पटना, दिनांक– 31.12.13

प्रतिलिपिः– निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण/मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/12/2013

सरकार के विशेष सचिव।